इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 1993

सा. का. नि. 517.—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की परिनियमावली के परिनियम 26 के खंड (1) के उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का प्रबंध बोर्ड इं. गां. रा. मु. वि. अधिनियम के परिनियम (6) के खंड (2) के उपबंधों के अन्तर्गत/वित्त अधिकारी की परिलब्धियों, सेवा शर्तों के संबंध में निम्नलिखित अध्यादेश बनाता है :

वित्त अधिकारी की परिलब्धियों सेवा शर्तों के संबंध में अध्यादेश

[परिनियम 6 के खंड (2) के अधीन]

1. वित्त अधिकारी को रु. 4500-150-5700-200-7300 के वेतनमान में अथवा ऐसे ही अन्य वेतनमान पर जैसा की प्रबंध बोर्ड समय-समय पर निर्धारित करेगा, नियुक्त किया जाएगा । वह उपर्युक्त वेतनमान के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को समय-समय पर स्वीकार्य ऐसे अन्य भत्तों के भी पात्र होंगे ।

परन्तु प्रबंध बोर्ड प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी नियुक्त कर सकता है जिसमें वह भारत सरकार की प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों द्वारा नियंत्रित होगा ।

2. अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन वित्त अधिकारी को 5 वर्षों की अवधियों के लिए नियुक्ति का नवीकरण कर सकता है ।

3. वित्त अधिकारी के पद के लिए अर्हताएं प्रबंध बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित होंगी ।

परन्तु यदि किसी व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा या उसी प्रकार की सेवा का अधिकारी हो और उसकी कम से कम 15 वर्ष की सेवा हो ।

4. विश्वविद्यालय उसे असज्जित रिहायशी आवास प्रदान करेगा जिसके लिए वह विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दरों पर किराया/अनुज्ञा शुल्क का भुगतान करेगा । परंतु यदि उसे सज्जित मकान दिया जाता है तो वह विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दरों पर उस फर्नीचर के किराए का भुगतान करेगा ।

5. कार्यकाल के दौरान वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को समय-समय पर यथा स्वीकार्य छुट्टियों के लिए पात्र होगा ।

परन्तु यदि विश्वविद्यालय या कालेज या किसी विश्वविद्यालय या ऐसे ही किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या उससे संबद्ध या राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुरक्षित या उससे संबद्ध संस्था का कोई कर्मचारी वित्त अधिकारी नियुक्त होता है तो वह पद पर पुनर्ग्रहणाधिकार होने तक उन छुट्टी नियमों द्वारा नियन्त्रित होता रहेगा जिनके लिए वह वित्त अधिकारी की नियुक्ति से पूर्व पात्र था ।

6. वित्त अधिकारी यात्रा भत्ते, छुट्टी यात्रा रियायत और चिकित्सा परिचर्या नियमों का पात्र होगा जो विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को समय-समय पर देय होते हैं ।

7. वित्त अधिकारी ऐसी सेवांत सुविधाओं का पात्र होगा जो समय-समय पर प्रबंध द्वारा निर्धारित की जाती हों ।

8. वित्त अधिकारी अपने कार्यकाल की समाप्ति तक अंशदायी भविष्य निधि में अभिदान करने का पात्र होगा ।

परंतु यदि विश्वविद्यालय या कालेज या किसी विश्वविद्यालय या ऐसे ही किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या उससे संबद्ध या राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुरक्षित या उससे संबद्ध संस्था का कोई कर्मचारी वित्त अधिकारी नियुक्त होता है तो उन्हें सेवानिवृत्ति लाभ योजना द्वारा नियंत्रित होगा जिनके लिए वह वित्त अधिकारी अपनी नियुक्ति होने से पूर्व पात्र थे अथवा अपने पद पर पुनर्ग्रहणाधिकार बने रहने तक पात्र थे परंतु इस उपबंध के अंतर्गत सामान्य भविष्य निधि एवं विश्वविद्यालय अंशदायी भविष्य निधि के अभिदान के प्रयोजनार्थ वेतन वित्त अधिकारी के रूप में उनके द्वारा लिया गया वेतन होगा ।

[सं. आई जी/प्रशा. (जी) /आदि/92]

क. नारायणन्, कुलसचिव

INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY

New Delhi, the 1st October, 1993

G.S.R. 517.—In exercise of the powers conferred on it under the provisions of Clause (1) of Statute 26 of the Statutes of the IGNOU, the Board of Management of the Indira Gandhi National Open University makes the following ordinance on Emoluments, Terms and Conditions of Service of Finance Officer under Clause (2) of Statute (6) of the IGNOU Act :

Ordinance

On Emoluments, Terms and Conditions of Service of Finance Officer

[under clause (2) of Statute (6)]

1. The Finance Officer shall be appointed on a scale of pay of Rs. 4500-150-5700-200-7300, or on such other scale of pay as may be determined by the Board of Management from time to time. He shall, in addition to the pay in the scale mentioned above, be entitled to such other allowance as are admissible to the employees of the University from time to time.

Provided that the Board of Management may appoint an officer drawn on deputation, in which case he shall be governed by the usual terms of deputation of Government of India.

2. Subject to the provisions of the Act and Statutes, the Finance Officer shall be appointed for a term of 5 years; provided that the Board of Management may renew the appointment for further terms of 5 years each.

3. The qualifications for the post of Finance Officer shall be as prescribed by the Board of Management from time to time.

Provided that if a person is appointed to the post of Finance Officer on deputation, such person shall be in the rank of an officer of IA and AS Cadre or similar other services with at least 15 years of service to his credit.

4. The University shall provide him with unfurnished residential accommodation for which he will pay rent/licence fee at the rates fixed by the University.

Provided that if he is provided with a house which is furnished, he shall pay rent for such furniture at the rates fixed by the University.

5. The Finance Officer, during the tenure, shall be entitled to leave, as admissible to the employees of the University from time to time. Provided that when an employee of the University or a College affiliated to it or of any other University or institution maintained by or affiliated to such other University or of a State Government or Government of India is appointed as a Finance Officer he shall continue to be governed by the same leave Rules to which he was entitled prior to his appointment as Finance Officer till he continues to hold his lien on the post.

6. The Finance Officer shall be entitled to Travelling Allowance, Leave Travel Concession and Medical attendance rules as are admissible to the employees of the University from time to time.

7. The Finance Officer shall be entitled to such terminal benefits as may be fixed by the Board of Management from time to time.

8. The Finance Officer shall be entitled to subscribe to the contributory provident fund of the University till the end of his tenure.

Provided that where an employee of the University or a College or of any University or Institution maintained by or affiliated to such other University or of a State Government or the Government of India, is appointed as Finance Officer he shall continue to be governed by the same retirement benefit scheme to which he was entitled prior to his appointment as Finance Officer or till he continues to hold his lien on that post, but under this provision, the pay for the purpose of subscription to the General Provident Fund and subscription to the University Contributory Provident Fund shall be the pay drawn by him as Finance Officer.

[No. IG/ADMN (G)/ORD/92]

K. NARAYANAN, Registrar

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 1993

सा. का. नि. 518.—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की परिनियमावली के परिनियम 26 के खंड (1) के उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इं. गां. रा. मु. वि. का प्रबंध बोर्ड इं. गां. रा. मु. वि. परिनियमावली के परिनियम 12(4) के अंतर्गत चयन समिति प्रक्रिया संबंधी निम्नलिखित अध्यादेश बनाता है ।

चयन समिति प्रक्रिया संबंधी अध्यादेश

[इं. गां. रा. मु. वि. परिनियमावली का परिनियम 12(4)]

1. कुलपति महोदय चयन समिति की बैठक की तारीख और स्थान नियत करेंगे ।

2. सदस्यों को बैठक की सूचना 15 दिन पहले दी जाएगी ।

3. परिनियम 12 में उल्लिखित किसी पद के लिए प्राप्त आवेदनों की छानबीन कुलपति द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त समिति द्वारा की जाएगी । छानबीन समिति निर्धारित अर्हताओं एवं अनुभव और उपलब्ध पदों को ध्यान में रखते हुए आवेदनों को शार्टलिस्ट कर सकती है ।

4. चयन समिति को भेजे गए अभ्यर्थियों की सूची में से ही प्रबंध बोर्ड द्वारा विचार करने के लिए चयन समिति उन अभ्यर्थियों की सिफारिश करेगी जो नियुक्ति के उपयुक्त पाए जाएंगे जिनके लिए समिति नियुक्त की गई थी ।

5. चयन समिति का निर्णय सर्वसम्मति से होगा । जहां आवश्यक हुआ, मामले का निर्णय बहुमत से होगा । अनिर्णय की स्थिति में बैठक में उपस्थित अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

6. इन अध्यादेशों में जो मामले उल्लिखित नहीं है, उनके संबंध में कुलपति को प्रक्रियाओं को निर्धारित करने का अधिकार होगा ।

7. चयन समिति लेक्चरर के पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों का अलग से साक्षात्कार लेगी और अन्य अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेने से पहले अपनी सिफारिशें करेगी ।

8. चयन समिति उन कारणों के लिए कम से कम रीडर के पद के लिए अभ्यर्थी के पाठ्यक्रम विवरण पर, अनुपस्थिति में विचार कर सकती हैं और प्रबंध बोर्ड के विचारार्थ सिफारिश कर सकती है ।

9. प्रत्येक चयन समिति अपने समक्ष प्रस्तुत अभ्यर्थियों के मूल्यांकन की पद्धति के संबंध में अपनी प्रक्रिया अपनाने में सक्षम होगी ।

10. चयन समिति लिखित में उन कारणों के लिए किसी भी अभ्यर्थी को नियमों के अनुसार सामान्यतया स्वीकार्य वेतन की अपेक्षा आरंभ में उच्च वेतन की सिफारिश कर सकती है और प्रबंध बोर्ड वेतन निर्धारण के संबंध में इस प्रकार की सिफारिशों पर विचार कर सकता है ।

11. चयन समिति योग्यता क्रम में चुने गए अभ्यार्थियों की सूची तैयार करेगी ।

12. चयन समिति द्वारा सिफारिश की गई सूचियां प्रबंध बोर्ड द्वारा उनकी स्वीकृति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी । परंतु प्रबंध बोर्ड उन कारणों के लिए एक और वर्ष तक सूची की वैधता बढ़ा सकता है ।

[सं. आई जी/प्रशा. (जी)/अधि./9/92]

क. नारायणन्, कुलसचिव

New Delhi, the 1st October, 1993

G.S.R. 518.—In exercise of the powers conferred on it under the provisions of Clause (1) of Statute 26 of the Statutes of the IGNOU, the Board of Management of the Indira Gandhi National Open University makes the following Ordinances on Selection Committee Procedures under Statute 12(4) of the Statute of the IGNOU.

ORDINANCE ON SELECTION COMMITTEE PROCEDURES

[Statute 12(4) of the Statutes of IGNOU]

1. The Vice-Chancellor shall fix the date and venue of the meeting of the Selection Committee.

2. A fortnight's notice of a meeting shall be given to the members.

3. The applications received for any of the posts mentioned in Statute 12, may, where necessary, be screened by a Committee appointed for the purpose by the Vice-Chancellor. The Screening Committee may short list the applications taking into account the qualifications and experience prescribed and available posts.

4. The Selection Committee shall recommend candidates from among those referred to it, who are found suitable for appointment to the posts for which the Committee was constituted, for consideration by the Board of Management.

5. The decision of a Selection Committee shall be by consensus. Where necessary, the matter will be decided by a majority vote. In case there is a tie, the Chairman at the meeting shall exercise a casting vote.

6. The Vice-Chancellor shall have the power to lay down procedures in respect of matters not specified in these Ordinances.

7. The Selection Committee shall interview the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the posts of Lecturers separately and makes its recommendations before other candidates are interviewed.

8. The Selection Committee may, for reasons to be recorded consider the curriculum vitae of a candidate for a post not below the rank of a Reader in absentia, and make recommendations for consideration of the Board of Management.

9. Every Selection Committee shall be competent to adopt its own procedure regarding the mode of assessment of the candidates presented before it.

10. The Selection Committee may, for reasons to be recorded in writing, recommend a higher start in pay to a candidate than what is normally admissible according to rules and the Board of Management may consider such recommendations on pay fixation.

11. The Selection Committee shall draw up a panel of selected candidates in order of merit.

12. The panels recommended by a Selection Committee shall be valid for a period of one year from the date of their

approval by the Board of Management. Provided that the Board of Management may, for reasons to be recorded, extend the validity of the panel by one more year.

[No. IG/ADMN (G)/Ord/9|92]

K. NARAYANAN, Registrar

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 1993

सा.का.नि. 519.—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की परिनियमावली के परिनियम 26 के खंड (i) के उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इं.गा.रा.मू.वि. का प्रबंध बोर्ड परिनियम 5 के खंड 2 के अधीन कुलसचिवों की परिलब्धियों सेवा शर्तों के संबंध में निम्नलिखित अध्यादेश बनाता है :

कुलसचिवों की परिलब्धियों, सेवा संबंधी अध्यादेश

[परिनियम 5 के खंड (2) के अंतर्गत]

1. प्रत्येक कुलसचिव की नियुक्ति रु. 4500–150-5700-200-7300 के वेतनमान में ली जाएगी अथवा समय-समय पर ऐसे ही वेतनमान पर प्रबंध बोर्ड द्वारा निर्धारित की जा सकती है। वह उपर्युक्त वेतनमान के अतिरिक्त उन अन्य भत्तों के पात्र भी होंगे जो विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को समय-समय पर स्वीकार्य होते हैं।

2. अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन प्रत्येक कुलसचिव को 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा, बशर्ते कि प्रबंध बोर्ड और प्रत्येक 5 वर्ष की और अवधि के लिए नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकता है।

3. कुलपति के पद के लिए अर्हताएं समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

4. विश्वविद्यालय प्रत्येक कुलसचिव को असज्जित रिहायशी आवास प्रदान करेगा जिसके लिए वह विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दरों पर किराया/अनुज्ञा शुल्क का भुगतान करेंगे।

परंतु यदि कुलसचिवों को सज्जित मकान दिया जाता है तो वह विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दरों पर फर्नीचर के किराए का भुगतान करेंगे।

5. अपने कार्यकाल के दौरान प्रत्येक कुलसचिव विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को समय-समय पर यथा स्वीकार्य छुट्टियों के लिए पात्र होगा।

परन्तु यदि विश्वविद्यालय का कालेज किसी विश्वविद्यालय या ऐसे ही किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या उससे संबंद्ध या राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुरक्षित या उससे संबद्ध संस्था का कोई कर्मचारी कुलपति नियुक्त होता है तो वह पद पर पुनर्ग्रहणाधिकार होने तक उन छुट्टी नियमों द्वारा नियंत्रित होता रहेगा जिनके लिए वह कुलसचिव की नियुक्ति से पूर्व पात्र था।

6. प्रत्येक कुलसचिव यात्रा भत्ते छुट्टी यात्रा रियायत और चिकित्सा परिचर्या नियमों का पात्र होगा जो विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को समय-समय पर देय होते हैं।

7. प्रत्येक कुलसचिव ऐसी सेवांत सुविधाओं का पात्र होगा जो समय-समय पर प्रबंध बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाती है।

8. प्रत्येक कुलसचिव अपने कार्यकाल की समाप्ति तक अंशदायी भविष्य निधि में अभिदान करने का पात्र होगा।

परंतु यदि विश्वविद्यालय या कालेज या किसी विश्वविद्यालय या ऐसे ही किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या उससे संबद्ध या राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुरक्षित या उस से संबद्ध संस्था का कोई कर्मचारी कुलसचिव नियुक्त होता है तो उन्हीं सेवा निवृत्ति लाभ योजना द्वारा नियंत्रित होगा जिनके लिए वह कुलसचिव की अपनी नियुक्ति होने से पूर्व पात्र थे अथवा पुनर्ग्रहणाधिकार पर अपने पद पर बने रहने तक पात्र थे परंतु इस उपबंध के अंतर्गत सामान्य भविष्य निधि एवं विश्वविद्यालय अंशदायी भविष्य निधि को अभिदान के प्रयोजनार्थ वेतन कुलसचिव के रूप में उनके द्वारा लिया गया वेतन होगा।

[सं आई.जी./प्रशा. (जी)/अडि. 9/92]

क. नारायणन कुल सचिव

New Delhi, the 1st October, 1993

G.S.R. 519.—In exercise of powers conferred on it under the provisions of Clause (1) of Statute 26 of the Statutes of the IGNOU, the Board of Management of the Indira Gandhi National Open University makes the following ordinances on Emoluments, Terms and Conditions of Service of Registrars under Clause (2) of Statute 5.

Ordinance

On Emoluments, Terms and Conditions of Service of Registrars

[under clause (2) of Statute 5]

1. Every Registrar shall be appointed on a scale of pay of Rs. 4500-150-5700-200-7300, or on such other scale of pay it may be determined by the Board of Management, from time to time. He shall, in addition to the pay in the scale mentioned above, be entitled to such other allowances as are admissible to the employees of the University from time to time.

2. Subject to the provisions of the Act and Statutes, every Registrar shall be appointed for a term of 5 years; provided that the Board of Management may renew the appointment for further terms of 5 years each.

3. The qualifications for the post of Registrar shall be as prescribed by the Board of Management from time to time.

4. The University shall provide every Registrar with unfurnished residential accommodation for which he will pay rent/licence fee at the rates fixed by the University.

Provided that if a Registrar is provided with a house which is furnished, he shall pay rent for such furniture at the rates fixed by the University.

5. Every Registrar, during his tenure, shall be entitled to leave, as admissible to the employees of the University from time to time. Provided that when an employee of the University or a College affiliated to it or of any other University or institution maintained by or affiliated to such other University, is appointed as a Registrar he shall continue to be governed by the same leave Rules to which he was entitled prior to his appointment as Registrar till he continues to hold his lien on the post.

6. Every Registrar shall be entitled to Travelling Allowance, Leave Travel Concession and Medical Attendance Rules as are admissible to the employees of the University from time to time.

7. Every Registrar shall be entitled to such terminal benefits as may be fixed by the Board of Management from time to time.

8. Every Registrar shall be entitled to subscribe to the contributory provident fund of the University till the end of his tenure ;

Provided that where an employee of the University or a college of any University or Institution maintained by or affiliated to such other University is appointed as Registrar, he shall continue to be governed by the same retirement benefit scheme to which he was entitled prior to his appointment as Registrar or till he continues to hold his lien on that post, but under this provision, the pay for the purpose of subscription to the General Provident Fund and subscription to the University Contributory Provident Fund shall be the pay drawn by him as Registrar.

[No. IG/ADMN (G)/ORD/9|92]

K. NARAYANAN, Registrar

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 19

सा. का. नि. 520 .—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की परिनियमावली के परिनियम 26 के खंड (i) के उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इं. गां. रा. मु. वि. का प्रबंध बोर्ड इंगां.रा.मु. वि. अधिनियम की धारा 26 (i) (क) के अधीन विभिन्न उपाधि डिप्लोमा और प्रमाणपत्र कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों के प्रवेश, पात्रता, अवधि एवं संरचना संबंधी निम्नलिखित अध्यादेश बनाता है :

विभिन्न उपाधि डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्र कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों के प्रवेश, पात्रता, अवधि एवं संरचना संबंधी अध्यादेश

[अधिनियम की धारा 26 (i) (क) के अंतर्गत]

1. प्रवेश

(1) विश्वविद्यालय द्वारा चलाए गए शैक्षिक कार्यक्रमों /पाठ्यक्रमों में प्रवेश उन सभी विद्यार्थियों के लिए खुला होगा जो प्रत्येक ऐसे कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं।

(2) पूर्व शैक्षिक, अर्हताओं, आयु और ऐसी अन्य अपेक्षाओं के संबंध में पात्रता की शर्तें प्रत्येक शैक्षिक कार्यक्रम या पाठ्यक्रम के लिए शैक्षिक परिषद् द्वारा निर्धारित की जाएंगी और विश्वविद्यालय इन अपेक्षाओं को पूरा करने के अध्यधीन इन कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रदान करेगा।

(3) ऐसी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालय स्वतंत्र होगा जो यह विशिष्ट शैक्षिक कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए समय-समय पर आयोजित करे।

(4) विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे शैक्षिक कार्यक्रमों /पाठ्यक्रमों में 15% स्थान अनुसूचित जातियों और 7-1/2% स्थान अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होंगे। परन्तु विश्वविद्यालय शारीरिक रूप से विकलांग एवं इसी प्रकार के अन्य सुविधावंचित समूहों के अभ्यर्थियों के प्रवेश के लिए शैक्षिक परिषद् की सिफारिश पर समय-समय पर उपबंध कर सकता है।

2. कार्यक्रमों एवं पाठ्यक्रमों की अवधि

(1) विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे शैक्षिक कार्यक्रमों जिनसे उपाधियां, डिप्लोमे और प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे कि न्यूनतम और अधिकतम अवधि प्रत्येक ऐसे कार्यक्रम के लिए शैक्षिक परिषद् की सिफारिशों पर निर्धारित की जाएगी। शैक्षिक परिषद् इसी प्रकार की अन्य शर्तें निर्धारित कर सकता है जिन्हें विद्यार्थियों को उपाधियां, डिप्लोमे और प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु पात्र होने के लिए पूरी करनी पड़ेंगी।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा चलाए गए पाठ्यक्रमों की न्यूनतम और अधिकतम अवधि शैक्षिक परिषद् द्वारा निर्धारित की जाएगी।

3. कार्यक्रमों की संरचना एवं ढांचा

विश्वविद्यालय शैक्षिक परिषद् की सिफारिशों पर विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे उपाधि, डिप्लोमों और प्रमाणपत्र कार्यक्रमों की संरचना और ढांचा निर्धारित कर सकता है। परंतु विश्वविद्यालय अपने सभी कार्यक्रम माड्यूलर संरचना, पाठ्यक्रम समूह में लचीलेपन और शिक्षा पद्धतियों और गति और विभिन्न कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रमवार पंजीकरण आदि के आधार पर आयोजित करने का प्रयास करेगा।

[सं. आई. जी. /प्रशा. (जी) आर्डि /92]

क. नारायणन, कुल सचिव

New Delhi, the 1st October, 1993

G.S.R. 520.—In exercise of the powers conferred on it under the provisions of Clause (1) of Statute 26 of the statutes of the IGNOU, the Board of Management of the Indira Gandhi National Open University makes the following ordinance on Admission, Eligibility, Duration and Structure of Various Degree, Diploma and Certificate programmes and Courses under Section 26(1) (a) of the IGNOU Act :

Ordinance on

Admission, eligibility, duration and structure of various degree; diploma and certificate programmes and courses.

[Under Section 26(1)(a) of the Act]

1. Admission

(1) Admission to academic programmes/courses offered by the University shall be open to all who fulfil the conditions of eligibility prescribed for each such programme/course.

(2) The conditions of eligibility with respect to prior educational qualifications, age and such other requirements shall be prescribed by the Academic Council for each academic programme or course and the University shall make admission to these programes/courses subject to fulfilment of these requirements.

(3) It shall be open to the University conduct such entrance tests as it may prescribe from time to time for admission to specific academic programmes/courses.

(4) 15% of the seats in the academic programmes/courses offered by the University shall be reserved for students belonging to Scheduled Caste and 7-1-2% for students belonging to Scheduled Tribes. Provided that the University may also make such special provision for the admission of candidates belonging to the physically handicapped and such other disadvantaged groups on the recommendations of the Academic Council from time to time.

2. Duration of programmes and courses

(1) The minimum and maximum duration for the academic programmes offered by the University leading to the award of degrees, diplomas and certificates shall be prescribed for each such programme on the recommendations of the Academic council. The Academic Council may also prescribe such other conditions as the students have to fulfil to become eligible for the award of degrees, diplomas and certificates.

(2) The minimum and maximum duration for the courses offered by the University shall be prescribed by the Academic Council.

3. Structure and pattern of programmes

The University may, on the recommendations of the Academic Council, prescribe the structure and pattern of the programmes offered by it leading to the award of degree, diploma and certificate. Provided that the University shall endeavour to organise all its programmes on the basis of modular structure, flexibility in the combination of courses as well as methods and pace of learning, course-wise registration for various programmes, etc.

[No. IG/ADMN (G)/ORD/92]

K. NARAYANAN, Registrar